

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(श्रम मंत्रालय, भारत सरकार) (Ministry of Labour, govt. of India) उप-क्षेत्रीय कार्यालय, कांदिवली SUB REGIONAL OFFICE, KANDIVALI भविष्य निधि भवन, प्लॉट नं. २२२, सेक्टर नं. ३, चारकोप मार्केट, चारकोप पोयसन रोड, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०६७. Bhavishya Nidhi Bhavan, Plot No. 222, Sector No. 3, charkop Market, Charkop Poiser Road, Kandivali (West), Mumbai - 400 067.

दुरभाष / Tel. : 28695275

ज.स.अ. / PRO: 28692604

फैक्स / Fax : 28695297

Ref. No. MH/

Date

Date: 22.05.2008

To,

The Director, Nilkamal Ltd. Nilkamal House, Street No. 14, M.I.D.C. Andheri (E), Mumbai – 400 093

No. MH/45615/PF/ENF/VIII/ 186

Sub: Change of name from **M/s. Nilkamal Plastics Ltd.** To **M/s. Nilkamal Ltd.** bearing Code No. MH/45615, reg.

Sir,

With reference to your letter alongwith Incorporation Certificate of Registrar of Companies dated 16.05.2008, the necessary changes regarding name of the establishment as **M/s**. **NILKAMAL LIMITED** has been done in our office records.

ASSISTANT P.F. COMMISSIONER SUB REGIONAL OFFICE, KANDIVALI



क्रमचारी भविष्य निधि संगठन OYEES' PROVIDENT FUND ORGAN

क्षेत्रीय कार्यालय, महाराष्ट्र एवं गोव REGIONAL OFFICE, MAHARASHTRA & GOA भविष्य निधि भवन, 341, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 51.

Bhavishyanidhi Bhavan, 341, Bandra (East), Mumbai - 51.

सं. महा/बान्स /No. MH/BAN/ 45615/ 615/ ENF दिनांक / Date : 29 -8 -200/ Rain, To, M) & Nilkamal Plastics Ltd. 77 79, Nilkamal House Road NO 13-14 MIDC. Andherice) Mumbai 93 विषय । कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 कोड संख्या का आबंटन Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 allotment of code number. महोदय / Sir. उद्योग/स्थापना अपनी सभी शाखाओं एवं विभागों सहित कर्मचारी भविष्य निधि ाव प्रक्रीण उपबंध अधिनियाय 1952 तथा उसके अधीन निर्मित योजना के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत दिनांक से लायी जाती है। he factory / establishment M/s. Nilkamal Phystics Ltd. with all its brances and departments are prought within the purview of the employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the scheme framed the eunder with effect from _ ाम कोड संख्या महा/बान्डा/ आवंटित कियाँ गया है। इस कार्यालय के साथ होने वाले भविष्य के सभी पत्राचार में यह गरूया उद्भुत की जाए। Accede No. M.HVBAN/ 156 has been alloted to it. This number may be quoted in all tatters correspondence with this office. ाय जार्थालय को उपलब्ध यचना अनुसार -As per information available with this office -में आंबध है जो अधिनियम की अनुसूची में उछिखित उद्योगों 🗷 🗥 ्क ह आपको उद्योग कर्मचारी भविष्य निधि पत्न प्रकिर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1 (3) लागू होती है । Your factory is engaged in which is one of the industries specified in Schedule I of the Act to which the Employees Provident Funds and Miscellanceous Provisions Act, 1952 is applicable under Section 1 (3) आपकी स्थापना के रूप में वर्गीकृत है जिस पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा (1) 3 (बी) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना लागू की गयी है। Product Yours is an establishment classified as Plastic & Plastic to which the Employees Provident Funds and Miscellanceous Provisions Act, 1952 has been made applicable by the Government of India by a Notification issued under Section 1 (3) (b) of the Act. ापवेः अविदेन संख्या दिनांक के संदर्भ में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध ार्बिनियम, 1952 के विस्तार के लिए अधिनियम की धारा 1(4) के अंतर्गत स्वैच्छिक आधार पर यह कोड संख्या आबंटित की जाती है । यह कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनिश्म, 1952 की धारा 1 की उपधारा 4 के अन्तर्गत भारत सरकार की अधिसूचना का एक लम्बित मामला है। This code number is alloted with reference to your application No. 210/PRA/NPL/200

for extension of Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions

Act, 1952 under section 1(4) the Act, on voluntary basis. This is pending issue of a notification by the Government of India under Sub-Section (4) of section 1 of the Employees' Provident Funds and Miscellanceous Provisions Act, 1952.

	यह कोड सं	ल्या कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952. तथा इसके अन्तर्गत निर्मित योजना के उपबन्धों के अनुपालन की पूर्ण करने के उद्देहरा
	हेत् आबंटि	त की गयी है ।
	The coc	le number is alloted for the purpose of making compliance with the provisions of the Employee' Provident and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the Schemes framed thereunder.
1.	आपसे अपे योजना तथ	क्षा है कि आप दिनांक से कर्मचारी भविष्य निधि योजना के उपबंधों तथा दिनांक से कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के उपबंधों को कार्यान्वित करें यद पहले कार्यान्वित नहीं। कर है।
	w. e. f	re required to implement the provisions of the Employee' Provident fund Scheme 4-2-200) pension Scheme w.e.f. 1-2-200) and Deposit Linked Insurance Scheme 4-2-200 if not already done.
5.	कर्मचारी व	भविष्य निधि योजना, 1952, के पैरा 26 के अनुसार उद्योग / स्थापना में अथवा उससे संबंधित कार्य में कार्यरत वर्णचारी भविष्य निधि के भवत्य हैन पार
		ार के माध्यम से अथवा सीधे कार्यरत अस्थायी / स्थायी सभी कर्मचारीयों का नाम उनकी सेवा अवधि का विचार किय बिना दर्ज किया जायेगा ।
	with th	vided in para 26 of the Employees' Provident Fund Scheme 1952, an employee working in or in connection the work of the factory / establishment shall be eligible for membership of the fund. All employees whether ment or temperory employed directly or through a contractor are to be enrolled irrespective of their period of each
6.	(i)	अधिनियम की धारा 6 के अनुसार यदि प्रत्येक माह प्रत्येक कर्मचारी के लिए कोई देय भत्ता है तो कर्मचारी एवं नियो का की मूछ वतन महणाई सेना, माजन
		छूट के नकद मूल्य सहित तथा प्रतिधारित भत्ते का 10% / 12% की दर से अंशदान देय होगा ।
		As per section 6 of the Act, 1952 the contributions payable by the employer and employees small be at rate of 10% / 12% of basic wages, dearness allowance (including cash value of food concession) and retaining allowance, it any payable to each employee, every month.
	(ii)	अंशदान की गणना मूल वेतन, मंहगाई भत्ता इत्यादि के आधार पर की जाएगी जिसका कि वास्तव में पूरे माह के दौरान मुगतान किया जाता है अथवा देव है चाहे यह प्रतिदिन हो या साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक ।
		The contributions shall be calculated on the basic wags, dearness allowance end actually haid or payable during the whole month whether paid on daily, weekly, fortnightly or monthly basis.
	(iii)	अंशदान सम्पूर्ण रुपयों पर होगा ।
		Contributions shall be rounded to full rupees.
	(iv)	नियोक्ता प्रथमतः स्वयं द्वारा देय अंशदान का हिस्सा तथा कर्मचारी के नाम का हिस्सा दोनों ही का भुगतान करेगा ।
		The employer shall in the first instance, pay both the share of contributions payable by himself and also on behalf of the employer.
	(v)	ठेकेदार द्वारा लगाए गए कर्मचारी के संबंध मे ऐसे कर्मचारी द्वारा देय अंशदान को ठेकेदार वसूल करेगा तथा प्रशासकीय प्रभार एवं आफ्ने अंशदान की सदस्य
		के अंशदान की राशि सहित प्रमुख नियोक्ता को भुगतान करेगा ।
		In respect of employee employed by or through a contractor, the contractor shall recover the contribution payable by such employees and shall say to the principal employer the amount of member's contribution so deducted together with his contributions and administrative charges.
	(∨i)	अपने द्वारा लगाए तथा ठेकेदार द्वारा लगाए कर्मचारी के संबंध में अपने द्वारा देय अंशदान के हिस्से तथा प्रशासकीय प्रभार के शाथ अंशदान के दोनों िस्सी
		को भुगतान का उत्तरदायित्व प्रमुख नियोक्ता का होगा ।
		It shall be the responsibility of the principal employer to pay both the share or contributions payable by himself in respect of employees employed by him and also in respect of employees employed by or through a contractor and aslo Administrative charges.

कर्मचारी की मजदूरी के भुगतान से पहले उसका अंशदाँन उसकी मजदूरी से काटें जिसे नियोक्ता के अंशदान तथा प्रशासनिक प्रभार खिंदत प्रत्येक माह की समाहि के

Before paying the member his wages, the employees' contributions should be deducted from his wages which together with employer's contribution and administrative charges shall, within 15 days of the close or every month, be

कर्मचारी भविष्य निधि खाता सं. 1

To be deposited in Employee's

में जमा होना है।

paid in the Accounts of the Fund maintained by the State Bank of India through the pescribed challan.

15 दिन के अन्दर निर्धारित चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक में निधि खाते में जमा करें ।

भविष्य निधि अंशदान कर्मचारी का पूर्ण हिस्सा

PF contributions (full employees' share and

तथा नियोक्ता के हिस्से के 8.33%"

(ii) प्रशासनिक प्रभार न्यूनतम 5 रु. के अधीन Administrative charges @ (subject to a minium of Rs. 5/-)

(iii) नियोक्ता के हिस्से के 8.33% की दर से पेंशन अंशदान Pension contributions @ 8.33% of employer's share कर्मचारी भविष्य निधि खाता सं. 2 में जमा होना है ।
To be depos ted in Employees
Provident Fund Account No. 2.
कर्मचारी परिवार पेंशन निधि खाता सं. 10 में जमा होना है ।
To be deposited in Employees

Pension Fund Account No. 10.

नोट : प्रशासनिक प्रभार की दर वेतन का 1.10 है जैसे, मूल मजदूरी, महंगाई भत्ता-भोजन छूट के नकद मूल्य सहित प्रतिधारित भत्ता यदि कोई हो । Note : The rate of administrative charges is 1.10 percent of pay reckoned for PF contribution.

ाणरोक्त के अतिरिक्त कमीबारी विश्लेष सहबद्ध बीमा योजना 1976 के अंतर्गत खाता सं. 21 एवं 22 में भी निम्नानुसार राशि जमा करनी हैं। In addition to the above deposits, amounts in Account Nos. 21 & 22 under the Employees' Deposit linked Insurance Scheme, 1976 are also to be made in the manner indicated below.

(1) निक्षेप सहबद्ध कीमा निधि खाता सं. 22

Deposit Linked Insurance Fund Account No. 21

(ii) बीमा निभि प्रशासन खाता सं. 22

> Insurance fund Administration Account No. 22

इस खाते में अशंदान नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रत्येक माह दी जाने वाली कुल मूल मजदूरी, महंगाई भत्ता यदि कोई हो, का 0.5% की दर से जमा करनी है।

Payable by employer every month @ 0.5% of wages reckoned for P. F. contribution of all subscribers.

इस खाते के लिए नियोक्ता द्वारा प्रत्येक माह दिया जाने वाला प्रतिधारित भत्ता यदि कोई हो, मंहगाई भत्ता, भोजन छूट के नकद मूल्य सिहत तथा कुल मूल मजदूरी का 0.01% की दर से प्रशासनिक प्रभार जमा करें जो प्रत्येक माह न्यूनतम 2/- रु. के अधीन है। Payable by Employer @.01% of wages reckoned for P. F. contribution of all subscribes.

निम्नलिशित रिटर्नि/प्रपत्र हिंगादि भविष्य निधि कार्यालय को निम्नवत प्रस्तुत किए जाने हैं :-The following returns / form etc. are to be forwarded to PF office as explained -

(i) कर्मवारी यविष्य निधि योजना 1952 के अन्तर्गत सं. 9 तथा कर्मचारी ऐजन योजना 1995 के प्रपन्न सं. 3 (क. पे. सो.)

Form No. 9 under the EPF scheme 1952 and 3 (EPS) under the EPS 95

(ii) क॰ भ॰ नि॰ ,धाजना 1952 क॰ पें॰ योजना 1995 के अन्तर्गत प्रपण मं. २ (संशोधित)

Form No. 2 frevised) under the EPF Scheme, 1952 and also under EPS 95

(iii)। प्रपन्न सं. 5 - ए From No. 5A

(iv) प्रपन्न सं. 3 - ए From No. 3A

(v) प्रमन्न सं. 6 - ए From No. 6A अधिनियम/योजना के अन्तर्गत आच्छादित स्थापना/उद्योग की तिथि से बनने वाले प्रपत्र इसके सदस्यों के संबंध में उन पात्र कर्मचारियों के लिए ये प्रपत्र एक बार ही प्रस्तुत अन्तर्गत करें।

These are to be forwarded once in respect of those employees who are required or entitled to become members on the date of the factory/establishment is covered under the Act / Scheme.

प्रत्येक सदस्य व्यारा निधि की सदस्यता ग्रहण करने के बाद इनसे दो प्रतियों में तथा लेकर तुरंत प्रस्तुत करें।

These are to be obtained in duplicate from every members and forwarded imediately after joining the fund.

इसे तुरंत तथा जब कभी स्वमित्व का बदलाव हो प्रस्तुत करें।

This is to be forwarded immediately and also whenever change in ownership occurs.

इसे उस प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में प्रत्येक माह तैयार करना है जो भविष्य कार्यालय को प्रस्तुत करें । निधि का सदस्य है तथा प्रपत्र सं. 6 ए के साथ वर्ष की समाप्ति पर भविष्य निधि

This is to be maintained every month in respect of every employee who is a member of PF and forwarded to PF office at the close of the financial year along with the form 6A below.

यह अंशदान का वार्षिक रिटर्न है तथा इसे वैयक्तिक प्रपत्र सं. 3-ए के साथ प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिन के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

This is the annual return of contributions and is to be forwarded to office within 30 days of the close of the every financial year alongwith individual form 3A.

- (vi) प्रपत्र सं. 12 ए From No. 12A
- (vii) प्रपन्न सं. 5 & 10

From Nos. 5 & 10

यह अंशदान का मासिक रिटर्न है तथा इसे प्रत्येक भाह की 25 तारीय तक अस्तृत करें। इस प्रपत्र के साथ उपरोक्त पैरा 7 एवं 8 के अनुसार भारतीय स्टेट वैक में जात किए चालाने की प्रतियां भी संलग्न करें।

This is the monthly return of contributions and is to be forwarded by 25th of every month. Copies of the challan, in support of the deposits made in the State Bank of India as per para 7 & 8 above are to be attached with this forms.

ये उन कर्मचारियों का रिटर्न है जो नए सदस्य बने है अथवा जिन्होंने माह में नीवारी छोड़ दी है। इसे प्रत्येक माह की 25 तारीख तक कार्यालय में प्रस्तुत करें।

These are the returns of employees who have become new members or have left the service in the month. This is to be forwarded to office by 25th of every month.

11. यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि निधि के रूप में देय राशि का भुगतान निर्धारित समय से किया गया है। भुगतान में की गया किया भी देरी के छिए धारा 7-क्यु के अन्तर्गत ब्याज तथा पैरा 14-बी के अन्तर्गत नुकसान का उद्ग्रहण किया जाता है। अधिनियम अथवा योजना के उपबंधों के किसी भी उल्डंघन के छिए विभिन्न दण्ड विधानों को लागू किया जा सकता है।

It is important to ensure that the amount due to the fund is paid within the prescribed time limit. Damages under para 14B and interest under Section 7Q are levied for any delays in making payments. Various penal provisions could also be revoked for any violation of the privisions of the Act or the Schemes.

12. इस कार्यालय के प्रवर्तन अधिकारी आपकी स्थापना का दौरा करेंगे । आपसे अनुरोध है कि आवश्यक सहयोग करें । अगर आपको कोई कठिनाई हो अथवा दिशा - निर्देश चाहते हैं तो कृपया निसंकोच इस कार्यालय से संपर्क करें ।

An Enforcement Officer of this office will be visiting your establishment. You are requested to afford him necessary cooperation. If you experience any difficulty or need any guidance, please feel free to contact this office.

सभी प्रकार के सहयोग का आश्वासन ।

Assuring you all cooperation,

भवदीय, Yountaithfully

्रीप्राधः सिंहिं आयक्त

Reginoal Provident Fund Commissioner Maharashtra and Goa महाराष्ट्र एवं गोता ।

प्रति: 1) लेखा अनुभाग

2) प्रवर्त्_र अधिकारी C.C.: 1) Cordination -